परिशिष्ट 89.01 हैकर्

मोती लाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद - 211004

प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 15 जून, 1998 को लखनऊ में सम्पन्न हुए 88वी बैठक की कार्यवृत्त प्रशासकीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्यों ने बैठक में भाग लिया :-

1. श्री यागन्द्र नारायण, अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ — अध्यक्ष

2. श्री अखण्ड प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ — उपाध्यक्ष

3. श्री ललित मोहन पंत, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, लखनऊ — सदस्य

4. प्रो. रजनीश प्रकाश, प्रधानाचार्य, पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ — सदस्य

5. प्रो. राजेन्द्र प्रकाश, भूतपूर्व कुलपति, गढ़वाल विश्वविद्यालय, 75/57 सिविल लाइन्स, रूड़की — सदस्य

6. प्रो. चुन्नी लाल खेत्रपाल, कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद — सदस्य

7. श्री धर्मवीर, पूर्व मुख्य अभियन्ता (यू.पी. पी.डब्लू.डी.), ए-377, इन्द्रा नगर, लखनऊ — सदस्य

8. प्रो. ए.के. गोविल — सदस्य
आचार्य
अप्लाईड मेकेनिक्स विभाग
मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीरियरिंग कालेज,
इलाहाबाद

9. प्रो. एस.पी.एल. गर्ग — सदस्य/सचिव
प्राचार्य
मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज,
इलाहाबाद

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद के व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके निदेश पर श्री अखण्ड प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग/उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गयी।

प्रशासकीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :-

1. श्री एल.एन. मिश्रा,
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश,
कानपुर

2. प्रो. एम.यू. देशपाण्डेय
791, पाकेट (ई), मयूर विहार,
फेज द्वितीय
दिल्ली

3. प्रो. एन.सी. निगम,
कुलपति
रूड़की विश्वविद्यालय
रूड़की

4. श्री एस.के. मिश्रा
एडीशनल एप्रेन्टिस एडवाइजर
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
नई दिल्ली

5. श्री ललित खेतान
39 फ्रेण्डस कालोनी,
नई दिल्ली

6. प्रो. के.ए. पद्नाभन
निदेशक
आई.आई.टी.
कानपुर

7. प्रो. बी.जी. संगमेश्वरा
सलाहकार (ई एण्ड टी)
आल इण्डिया काउंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन
इन्द्रप्रस्थ स्टेट, इन्द्रा गांधी स्पोर्ट्स काम्पलेक्स
नई दिल्ली।

8. श्री मोहन फ्रांसिस,
डिप्टी फाइनेन्शियल एडवाइजर
भारत सरकार,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

87.1 प्रशासकीय परिषद् ने अपनी विगत 87वीं बैठक जो दिनां 10 नवम्बर, 1997 को सम्पन्न हुई थी, के प्रारूप कार्यवृत की पुष्टि की।

87.2 प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 19 नवम्बर 1997 को सम्पन्न हुई 87वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कृत कार्यवाही से परिषद् अवगत हुई। विशेष उल्लेख के रूप में निर्णय लिया गया कि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा समस्त सरकारी निर्माण इकाईयों को पत्र लिखा जाय कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उनके द्वारा कार्य का विस्तृत आगणन तैयार कर उसकी लागत पर सक्षम अधिकारी द्वारा टेक्निकल सेक्शन प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

संस्था की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के सम्बन्ध में परिषद ने अपेक्षा की कि प्रश्नगत अभिलेख 31.7.1998 तक तैयार कर महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की आपत्तियों का निराकरण करा कर कृत कार्यवाही की आख्या परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

88.3 प्रशासकीय परिषद ने महाविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 5.2.1998 एवं 27.5.1998 को सम्पन्न हुई 69वी एवं 70वीं बैठकों की कार्यवृत्तियों को विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया।

88.4 प्रशासकीय परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक की कालेज शाखा को भूमि पटटे पर देने के प्रकरण पर विचार स्थगित किया एंव निर्देश दिया कि संस्था द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को सूचित कर दिया जाय कि अब वे कालेज की भूमि पर कोई नया निर्माण न करें।

88.5 प्रशासकीय परिषद द्वारा श्री राकेश भूषण सिंह, प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.5.1996 पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि वर्तमान कालेज नियमों के अन्तर्गत उन्हें उनके समस्त अध्ययन अवकाश की अवधि के लिये पूर्ण औसत वेतन पर स्वीकृत नहीं दी जा सकता।

88.6 संस्था की इण्डस्ट्रियल इस्टेट की प्रबन्ध समिति में परिषद के नामित सदस्य के प्रकरण पर प्रशासकीय परिषद ने विचार किया तथा निर्णय लिया कि परिषद में संस्थाके प्रोफेसर वर्ग के संकाय सदस्य को इण्डस्ट्रियल इस्टेट की प्रबन्ध समिति का सदस्य नामित किया जाय।

वर्तमान में प्रोफेसर ए.के. गोविल जो परिषद में संकाय के प्रोफेसर वर्ग के सदस्य हैं इण्डस्ट्रियल इस्टेट की प्रबन्ध समिति के सदस्य होगें तथा उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके स्थान पर जो संकाय सदस्य नामित होगें इण्डस्ट्रियल इस्टेट प्रबन्ध समिति के सदस्य होगें।

88.7 प्रशासकीय परिषद द्वारा डा. जी.के. मेहरोत्रा एवं श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, प्रवक्ता रेमिडियल कोर्स के संयुक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.1.1998 जो माननीय उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री को सम्बोधित है पर विचार किया गया तथा परिषद ने प्रस्ताव लिया कि डा. जी.के. मेहरोत्रा एवं श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल की सेवाओं को कालेज सेवाओं में नियमितीकरण सम्बन्धित विभाग में रिक्त पदों के विरूद्ध स्क्रीनिंग/चयन प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर किया जाय।

88.8 प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्था के वर्तमान प्रतिनियुक्ति के नियमों को अधिक व्यवहारिक एवं युक्ति संगत बनाने के कालेज द्वारा प्रस्तुत प्रारूप नियम पर विचार किया गया तथा उनके कतिपय संशोधनों के साथ परिशिष्ट 88.08(क) पर संलग्न ~~नियम~~ के अनुसार ~~अनुमोदित करने का प्रस्ताव लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि~~ उसे शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित ~~किया जाय~~। करने का निर्णय लिया गया।

88.9 प्रशासकीय परिषद ने मेकैनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा. अजीत सिंह के स्वैच्छिक सेवा निवृत्त के विषय पर विचार किया।

परिषद ने निर्णय लिया कि चूंकि वर्तमान में शैक्षिक वर्ग के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा शासन द्वारा अनुमन्य नहीं की गयी है इसलिये प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता परन्तु इसे शासन को पुन: विचार के लिये सन्दर्भित कर दिया जाय।

88.10 प्रशासकीय परिषद ने महाविद्यालय के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवदेन एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सम्परीक्षित वार्षिक वित्तीय लेखा (अंग्रजी व हिन्दी वर्जन) पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान किया।

-:-

परिषद द्वारा संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन में छात्रों के सेवायोजन के विवरण को भविष्य में निम्नानुसार प्रस्तुत किये जाने का भी निर्देश दिया।

1. छात्रों की कुल संख्या ब्रान्चवाइज
2. सेवायोजन हेतु इच्छुक छात्रों की संख्या ब्रान्चवाइज
3. प्रत्येक ब्रान्च में सेवायोजित छात्रों की वास्तविक संख्या
4. संवायोजित छात्रों को प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम परलब्धियां।

88.11 प्रशासकीय परिषद संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत प्रोफेसरों की सम्बन्धित विभागों में चक्रानुक्रम में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्तावित प्रक्रिया एवं शर्तो पर विचार किया।

परिषद द्वारा यह महसूस किया गया कि विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शर्तों में संशोधन की आवश्यकता है एवं परिषद ने निर्देश दिया कि प्राचार्य, कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से परामर्श कर तथा परिषद द्वारा विचार के समय व्यक्त किये गये सुझावों को समाहित करते हुए नियम बनाकर अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। ~~यह नियम अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद के अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगें।~~

88.12 प्रशासकीय परिषद ने श्री एस.एस. गुप्ता, सहायक पुस्ताकालयाध्यक्ष को विशेष, चैकित्सिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया तथा श्री गुप्ता को 124 दिनों के विशेष चैकित्सिक अवकाश की स्वीकृत प्रदान किया।

88.13 प्रशासकीय परिषद द्वारा औद्योगिक अस्थान की इकाइयों से सम्बन्धित कालेज की आख्या पर विस्तार से विचार किया गया।

परिषद ने निर्णय लिया कि औद्योगिक अस्थान के किरायेदारों के बकाये किराये की वसूली हेतु तुरन्त कार्यवाही आपेक्षित है। चूंकि मूल अनुबन्ध की अवधि समाप्त हो गयी है, अत: उनसे औद्योगिक आस्थान के शेडो को खाली कराने हेतु विधिक कार्यवाही की जाय।

परिषद ने प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन पत्रांक 2745/एफएसटी/ई/98 दिनांक 11.06.1998 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप विधि परामर्शदाता से राय प्राप्त कर वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुमोदन ~~हुआ~~ किया। प्रगति से परिषद को ~~यथासमय~~ अगली बैठक में अवगत कराया जाय।

88.14 प्रशासकीय परिषद ने विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 2252/98-सोलह-प्रा.शि.-1-7891 दिनांक मई 29, 1998 में जो प्रदेश की अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/संस्थाओं के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर विदेशी, अप्रवासीय भारतीयों तथा अप्रवासीय भारतीयों द्वारा प्रायोजित (Sponsored) अभ्यर्थियों को वर्ष 1998-99 से प्रवेश दिये जाने सम्बन्धित है, पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि तदानुसार कार्यवाही की जाय।

88.15 संस्था में प्रवेश पाने के पश्चात कुछ छात्रों द्वारा मध्य सत्रमें छोड़कर चले जाने से रिक्त हुई सीटो के भरने के लिये प्रवेश परीक्षा के द्वारा 5% अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देने के प्राविधान विषयक प्रस्ताव पर परिषद द्वारा विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रथम वर्ष के प्रवेश के समय 5% प्रवेश की सीटों में अतिरिक्त सीटें बढ़ा दी जाय। इन अतिरिक्त सीटों का ब्रान्चावाइज (Branch wise) वितरण प्राचार्य एवं प्रवेश समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार किया जायगा।

प्रवेश द्वारा अन्य रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों में भेजे गये छात्रों के द्वारा सीटें छोड़ने से खाली होने पर सीटों के भरने के लिए एक प्रतीक्षा सूची तैयार की जाय।

88.16 कालेज के मेकैनिकल इंजीनियरिंग विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ड्राफ्टमैन के सृजत पद पर वर्षो से कार्यरत श्री ए.डी. सिंह को उच्च वेतनमान दिये जाने के प्रकरण पर परिषद ने विचार किया।

परिषद द्वारा महसूस किया गया कि ड्राफ्टमैनशिप में कम्प्यूटर के उत्तरोत्तर प्रयोग को देखते हुये कम्प्यूटर ग्राफिक्स/कम्प्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति को उच्च वेतनमान स्वीकृत किये जाने का पूर्ण औचित्य है। चूँकि वेतनमान का उच्चीकरण शासन द्वारा होना है अतः मेकैनिकल इंजीनियरिंग विभाग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु सृजित ड्राफ्टमैन वेतनमान के उच्चीकरण का प्रकरण निर्धारित अर्हताओं (कम्प्यूटर ग्राफिक्स/कम्प्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग में कम से कम छः माह का कोर्स सर्टीफिकेट) के साथ शासन को हेतु संदर्भित किया जाय।

88.17

Confidential

प्रशासकीय परिषद की बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात विसर्जित हुई।

(एस.बी.एल. गर्ग)	(अखण्ड प्रताप सिंह)
प्राचार्य/सचिव	प्रमुख सचिव

17/6/98 15 जून को सम्पन्न मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद की प्रशासकीय परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के पूर्व देखना/अनुमोदन करना चाहें।

16.6.98

(अखण्ड प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव
प्राविधिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन

मुख्य सचिव

कार्यवृत्त में यथास्थान आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। कृ. अनुमोदन करना चाहें।

18.6.98
(वरुण कुमार सिन्हा)
स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

प्रमुख सचिव

18/6/98

(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

प्रमुख सचिव प्रा० शिक्षा
19/6/98